प्ररूप–घ

समक्षः– न्यायालय पूर्णिमा कोठे राजन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला ग्वालियर (म.प्र.) निर्णय की तारीख 21/08/2025 प्रकरण सं. 2162/2019 (प्र.सू.रि./अपराध और पुलिस थाने का विवरण)	
परिवादी	राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र **महिला थाना पड़ाव**
प्रतिनिधित्व द्वारा	**श्री पवन शर्मा ए0डी0पी0ओ0**
अभियुक्त	**1– जितेन्द्र उर्फ मोनू पुत्र श्रीराम सिंह बघेल, उम्र– 37 वर्ष, 2– श्रीराम सिंह बघेल पुत्र श्री भागीरथ, उम्र– 67 वर्ष 3– विमलेश बघेल पत्नी श्रीराम सिंह, उम्र– 55 वर्ष, निवासीगण– 35 हर्ष नगर गोविन्दपुरी, सिटी सेंटर लश्कर ग्वालियर (म0प्र0)**
प्रतिनिधित्व द्वारा	अधिवक्ता का नाम **श्री दिनेश पाल**

प्ररूप –ड़

अपराध की तारीख	03.03.2017 से 16.05.2019
प्र.सू.रि की तारीख	16.05.2019
आरोप–पत्र की तारीख	27.05.2019
आरोपो के विरचना की तारीख	23.07.2019
साक्ष्य प्रारम्भ किये जाने की तारीख	29.10.2021
निर्णय सुरक्षित किए जाने की तारीख	21.08.2025
निर्णय की तारीख	21.08.2025
दंडादेश, यदि कोई हो, की तारीख	....

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त	अभियुक्त	गिरफ्तारी	जमानत पर	अपराध	दोषमुक्ति	अधिरोपित	धारा 428

की श्रेणी	का नाम	की तारीख	रिहा किये जाने की तारीख	जिनका आरोप है	या दोषसिद्धि	दडादेश	द.प्र.सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
01	जितेन्द्र उर्फ मोनू बघेल	—	—	भा0दं0सं0 की धारा 498ए सहपठित धारा 34 294, 506 भाग—दो एवं 4 द0प्र0अधि0	**दोषमुक्त**	कुछ नहीं	—
02	श्रीराम सिंह बघेल	—	—	भा0दं0सं0 की धारा 498ए सहपठित धारा 34 294, 506 भाग—दो एवं 4 द0प्र0अधि0	**दोषमुक्त**	कुछ नहीं	—
03	विमलेश बघेल	—	—	भा0दं0सं0 की धारा 498ए सहपठित धारा 34 294, 506 भाग—दो एवं 4 द0प्र0अधि0	**दोषमुक्त**	कुछ नहीं	—

प्ररूप – च

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन साक्षियों की सूची

क. अभियोजन –

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
अ.सा.01	साक्षी/फरियादी	भारती
अ.सा.02	साक्षी	कमलेश पाल
अ.सा.03	पुलिस साक्षी	कमलेश शर्मा

ख. प्रतिरक्षा साक्षी, यदि कोई हो :– निरंक

ग. न्यायालयीन साक्षी, यदि कोई हो :– निरंक

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची

क. अभियोजन

सं. क.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्रदर्श पी.1/अ.सा.–1	शिकायती आवेदन
2	प्रदर्श पी.2/अ.सा.–1	प्रथम सूचना रिपोर्ट
3	प्रदर्श पी.3/अ.सा.–1	नक्शामौका
4	प्रदर्श पी.4/अ.सा.–1	जप्तीपत्रक
5	प्रदर्श पी.5/अ.सा.–1	पुलिस कथन

ख. प्रतिरक्षा प्रदर्श :–

सं. क.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्रदर्शडी–01/अ.सा.01	परामर्श रिपोर्ट
2	प्रदर्शडी–02/अ.सा.01	पुलिस कथन

ग. न्यायालयीन प्रदर्श :– निरंक

घ. आवश्यक वस्तुए :-

सं. क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	आर्टीकल ए–01 / अ.सा.01	विवाह का कार्ड
2	आर्टीकल ए–01 / अ.सा.03	विवाह का रंगीन फोटो

01– अभियुक्त **जितेन्द्र उर्फ मोनू बघेल, श्रीराम सिंह बघेल एवं विमलेश बघेल** के विरूद्ध **धारा 498ए, 294, 506 भाग–दो भा0दं0सं0 एवं 4 द0प्र0अधि0** के अंतर्गत आरोप विरचित किये गये है कि उन्होंने दिनांक 03.03.2017 के दरमियानी दिन से दिनांक 16.05.2019 तक स्थान फरियादिया की ससुराल, 35 हर्ष नगर, गोविंदपुरी, सिटी सेंटर लश्कर ग्वालियर जिला ग्वालियर जो फरियादिया की ससुराल है, में प्रार्थिया के पति जितेन्द्र व उसके नातेदार होते हुए उससे पांच लाख रूपए की मांग को लेकर उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर क्रूरता कारित की, उक्त दिनांक समय एवं स्थान पर उन्होंने फरियादिया श्रीमती भारती पाल को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालो को क्षोभ कारित किया, उक्त दिनांक समय व स्थान पर उन्होंने फरियादिया श्रीमती भारती पाल को संत्रास कारित करने के आशय से उसे जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया एवं उक्त दिनांक समय व स्थान पर प्रार्थिया के माता पिता से अप्रत्यक्ष रूप से विवाह के संबंध में दहेज के रूप में पांच लाख रूपए की मांग की।

02– प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि फरियादिया का अभियुक्त जितेन्द्र उर्फ मोनू पति, श्रीराम सिंह बघेल ससुर एवं विमलेश सास है। उसकी शादी दिनांक 03.12.2017 को जितेन्द्र उर्फ मोनू निवासी 35 हर्ष नगर गोविन्दपुरी सिटी सेंटर लश्कर ग्वालियर के साथ ग्वालियर में संपन्न हुई थी।

03– अभियोजन घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि उसकी शादी दिनांक 03.12.2017 को जितेन्द्र उर्फ मोनू के साथ ग्वालियर में संपन्न हुई थी। शादी में उसके माता पिता द्वारा अपनी हैसीयत के ज्यादा दान दहेज दिया था। जिसमें 05 लाख रूपए नगद स्वरूप और सारा घरगृहस्थी का सामान सोने चांदी के जेवरात सहित कुल शादी में 15 लाख रूपए खर्च हुये थे परंतु इस सब के बाबजूद भी उसके पति जितेन्द्र बघेल, सास

विमलेश बघेल ससुर एस.आर. सिंह बघेल ने कुछ समय बाद ही कम दहेज को लेकर उसे ताने मारने लगे और कहने लगे कि उसके माता पिता ने शादी में कम दहेज दिया है। उसके बाद कुछ समय तक उसे ठीक रखा उसके बाद उसके पति जितेन्द्र बघेल, सास श्रीमती विमलेश बघेल, ससुर एस0आर0 सिंह बघेल ने दहेज में 05 लाख रूपए की मांग करने लगे एवं आये–दिन उसके साथ मारपीट कर गंदी गंदी गालियां देने लगे और उसे जान से मारने की धमकी दी फिर उसके पति जितेन्द्र, सास विमलेश, ससुर एस0आर0 सिंह ने उसके साथ एक राय होकर मारपीट की गई। सास ने उसके हाथ पकड़ लिये और पति व ससुर द्वारा मारपीट की गई और उसका मोबाईल फोन ले लिया गया फिर वह बीमार हो गई तब वह किसी प्रकार से बीमारी हालत में अपने मायके आकर ससुराल में जो उसके साथ घटना घटी उसको उसने अपने माता पिता को अवगत कराया गया। उन्होंने उसे तसल्ली देकर कहा कि सब ठीक हो जायेगा हम उन लोगों से बात करेंगे। इसी दौरान उसकी जिठानी की बच्चे की मृत्यु हो जाने पर वह अपने ससुराल गई तब भी उसके ससुरालीजनों के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया और दहेज की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट कर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर घर से पहने हुए कपड़ो में घर से निकाल दिया फिर उसने पति व ससुरालीजनों के महिला थाना पड़ाव ग्वालियर में शिकायत की जिस पर से दिनांक 09.04.2019 को परामर्श कराया गया किंतु कोई बात नहीं बनी।

05– उक्त सम्पूर्ण जांच के आधार पर आरक्षी केन्द्र महिला थाना पड़ाव द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक–96/2019 अंतर्गत धारा 498ए, 294, 506, 34 भादवि एवं 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया व साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये एवं अन्य आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियुक्तगण के विरूद्ध भा.द.सं. की धारा 498ए 294, 506, 34 भादवि एवं 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पत्र न्यायालय में दिनांक 27.05.2019 को प्रस्तुत किया गया।

06– अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्तानुसार आरोप विरचित किये जाने पर उन्होंने उक्त अपराध अस्वीकार कर विचारण चाहा।

07— प्रकरण में अभियोजन की आई हुई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 313 द.प्र.सं के अंतर्गत प्रश्न उत्तर के रूप में परीक्षण किए जाने पर वे निर्दोष है झूंठा फंसाया है। फरियादिया अपने पति के साथ अलग रहना चाहती थी इस कारण झूठा मुकद्दमा लगाया है।

08— प्रकरण के उचित निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न निम्न है :—

(1) क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 03.03.2017 के दरमियानी दिन से दिनांक 16.05.2019 तक स्थान फरियादिया की ससुराल, 35 हर्ष नगर, गोविंदपुरी, सिटी सेंटर लश्कर ग्वालियर जिला ग्वालियर जो फरियादिया की ससुराल है, में प्रार्थिया के पति जितेन्द्र व उसके नातेदार होते हुए उससे पांच लाख रूपए की मांग को लेकर उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर क्रूरता कारित की?

(2) क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक समय एवं स्थान पर फरियादिया श्रीमती भारती पाल को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालो को क्षोभ कारित किया?

(3) क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर उन्होंने फरियादिया श्रीमती भारती पाल को संत्रास कारित करने के आशय से उसे जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया?

(4) क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर प्रार्थिया के माता पिता से अप्रत्यक्ष रूप से विवाह के संबंध में दहेज के रूप में पांच लाख रूपए की मांग की?

— :: सकारण निष्कर्ष ::—

विचारणीय प्रश्न क्रमांक :—01 व 04

09— अभियोजन की आयी हुई साक्ष्य को देखते हुए साक्ष्य एवं तथ्यों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उपरोक्त विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

10— अभियोजन साक्षी भारती (अ0सा0—1) के द्वारा साक्ष्य में यह व्यक्त किया गया कि वह अभियुक्त जितेन्द्र, विमलेश, एस0आर0 सिंह को जानती है। वह उसके पति व सास ससुर है। उसकी शादी जितेन्द्र के साथ 03.12.2017 को हुयी थी। शादी में उसके परिवारवालों ने पांच लाख रूपए नगद व घर गृहस्थी का सामान व सोने चांदी का सामान दिया था। शादी के कुछ दिन वह ससुराल में अच्छे से रही उसके बाद पति व सास ससुर ने कम दहेज लाने के लिये उसे ताने मारना शुरू कर दिया, अभियुक्तगण उससे कहते थे कि तुम्हारे परिवार वालों ने मुझे कम दहेज दिया है अपने घर जाकर पांच लाख रूपए लेकर आओ और उसकी मारपीट करते थे। उसकी सास ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिये और पति व ससुर ने उसकी मारपीट की और उसका मोबाईल छीन लिया था। वह बीमार हो गयी थी, बीमार होने के बाद वह अपने मायके गयी और घटना के बारे में अपने परिवार वालों को बताया उसके परिवार वालों ने पंचायत लगायी और समाज में बैठक की। उसकी जेठनी का लड़का खत्म होने से उसे ससुराल जाना पड़ा। उसे लगा कि उसके ससुराल वालों में सुधार हो जायेगा लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। उसके ससुराल वालों ने उसे फिर से परेशान किया और घर से निकाल दिया, जो कपड़े वह पहने थी वही कपड़े पहनकर मायके आ गयी।

11— अभियोजन साक्षी भारती (अ0सा0—1) के द्वारा साक्ष्य में यह भी अभिवचन किया है कि उसने महिला थाने में घटना के संबंध में लेखीय आवेदन पेश किया जो प्रदर्शपी—01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त आवेदन पर से पुलिस ने एफ0आई0आर0 लेख की जो प्रदर्शपी—02 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शामौका प्रदर्शपी—03 बनाया जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उससे उसकी व अभियुक्त की शादी का कार्ड जप्त कर जप्तीपंचनामा प्रदर्शपी—04 बनाया, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रकरण में कार्ड संलग्न है जो आर्टीकल ए—01 है।

12— अभियोजन साक्षी श्रीमती कमलेश पाल (अ0सा0—2) के द्वारा साक्ष्य में यह

व्यक्त किया गया कि फरियादी भारती उसकी छोटी बहिन है। अभियुक्तगण जितेन्द्र भारती के पति है, विमलेश सास है, एस0आर0 सिंह बघेल भारती के ससुर है। भारती की शादी दिसम्बर 2017 में जितेन्द्र बघेल के साथ हुई थी। भारती की शादी में उसके पिताजी ने 5 लाख रूपए नगद तथा सोना चांदी तथा अन्य सामान मिलाकर लगभग कुल 15 लाख रूपए खर्च किए थे। भारती के ससुरालवालों ने जब भारती पहली बार ससुराल गई तब अच्छे से रखा, भारती जब दूसरी बार ससुराल गई तो तीनों आरोपीगण भारती को छोटी–छोटी बातों को लेकर परेशान करने लगे थे। भारती के ससुर भारती के साथ गाली गलौज करते थे सास ने और पति ने भी भारती पर हाथ उठाया था फिर भारती जब मायके वाले घर पर आई तब उसने सारी घटना उसे तथा मां को बताई फिर शादी के दो साल बाद भारती ने उसके साथ जाकर महिला थाना पड़ाव में अभियुक्तगण के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई थी। पुलिस ने भारती की शादी का कार्ड, आधार कार्ड एवं शादी का फोटो पुलिस को दिए थे पुलिस ने उसके समक्ष उक्त दस्तावेज जप्त कर जप्तीपत्रक प्रदर्शपी–04 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसने हस्ताक्षर किए थे। पुलिस ने घटना के संबंध में पूछताछ कर उसका बयान लिया था। उसके समाज के लोगों ने अभियुक्त जितेन्द्र और जितेन्द्र के पिता को बुलाकर बातचीत की थी किंतु अभियुक्तगण अपनी बात पर अड़े रहे जब भारती की जेठानी का लड़का खत्म हुआ था तब भारती अपनी ससुराल में गई थी और 15–20 रूकी थी उस समय भी अभियुक्तगण खाने पीने के लिए परेशान करते थे।

13– अभियोजन साक्षी श्रीमती कमलेश पाल (अ0सा0–2) के द्वारा साक्ष्य में यह भी अभिवचन किए हैं कि भारती की सास भारती को जितेन्द्र से बात करने पर आपत्ति करती थी और भारती को बोलती थी कि तुम छोटे और गरीब लोग हो हम लोग तो फंस गए है। प्रथम बार ससुराल जाकर वापिस आने के 15 दिन बाद जब भारती ससुराल गई तो उसके पति जितेन्द्र सास विमलेश तथा ससुर एस0आर0 सिंह द्वारा कम दहेज को लेकर भारती को ताने मारने लगे और कहने लगे कि तेरे माता–पिता ने शादी में कम दहेज दिया है। अभियुक्तगण भारती से दहेज में पांच लाख रूपए मायके से लाने के लिए मांग करने लगे, तीनों अभियुक्तगण आए–दिन भारती को गंदी गंदी गालियां देने लगे, मारपीट करने लगे और दहेज न देने पर भारती को जान से मारने की धमकी देने लगे तीनों अभियुक्तगण एक राय होकर भारती की मारपीट करते थे। तीनों अभियुक्तगण जब भारती की मारपीट करते थे तब सास भारती के हाथ पकड़ लेती थी और भारती का पति

व ससुर उसकी मारपीट करते थे।

14— अभियोजन साक्षी श्रीमती कमलेश पाल (अ0सा0—2) के द्वारा साक्ष्य में यह भी अभिवचन किए हैं कि अभियुक्तगण ने भारती का मोबाईल भी ले लिया था, जब भारती बीमार हो गई थी तब वह मायके आई और उसने ससुराल में स्वयं के साथ घटी घटना के संबंध में मम्मी पापा तथा उसे बताया था। उन लोगों ने भारती को तसल्ली देकर समझाया था कि सब कुछ ठीक हो जायेगा वे ससुरालवालों से बातचीत करेंगे, जब भारती की जेठानी का लड़का खत्म हो गया था और भारती अपनी ससुराल गई थी तब भी अभियुक्तगण के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया था अभियुक्तगण ने तब भी भारती की मारपीट की थी और उसको शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया था तथा भारती को पहने हुए कपड़ों में ही घर से निकाल दिया था। उक्त घटना से प्रताड़ित होकर उसकी बहिन ने अभियुक्तगण के विरूद्ध महिला थाना पड़ाव में आवेदन दिया था जहां पर ससुराल वालों के साथ परामर्श कराया गया किंतु कोई बात नहीं बनी तब उसकी बहिन भारती ने मजबूर होकर अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध पंजीवद्ध कराया था।

15— अभियोजन साक्षी कमलेश शर्मा (अ0सा0—3) के द्वारा साक्ष्य में यह व्यक्त किया गया कि वह दिनांक 16.05.2019 को थाना महिला थाना में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को मुझे अपराध क्रमांक— 96/2019 अंतर्गत धारा 498ए, 294, 506, 34 भा0दं0सं0 एवं धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम की एफ0आई0आर0 मय आवेदन के विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी। विवेचना के दौरान उसने दिनांक 18.05.2019 को फरियादी भारती पाल, साक्षी निर्मल सिंह, श्रीमती कमलेश पाल के कथन उनके बताए अनुसार लेखवद्ध किए थे। उक्त दिनांक को ही उसने फरियादिया भारती पाल से एक शादी का कार्ड, आधार कार्ड की छायाप्रति एवं शादी का फोटो साक्षी कमलेश पाल एवं निर्मल सिंह के समक्ष जप्त कर जप्तीपत्रक प्रदर्शपी—04 बनाया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। शादी का कार्ड आर्टीकल ए—01 है, रंगीन फोटो आर्टीकल ए—02 है। उक्त दिनांक को ही उसने फरियादी की निशादेही पर घटनास्थल फरियादी की ससुराल हर्षनगर गोविंदपुरी सिटीसेंटर पर नक्शामौका बनाया था जो प्रदर्शपी—03 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

16– फरियादी भारती (अ0सा0–1) के द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 498ए भादवि के अंतर्गत दहेज के लिए मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने के आक्षेप लगाए गए थे।

17– धारा 498ए भादवि के प्रावधान के अनुसार– जो कोई, किसी स्त्री का पति या पति का नातेदार होते हुए, ऐसी स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण –इस धारा के प्रयोजनों के लिए ''क्रूरता'' से निम्नलिखित अभिप्रेत है :–

(क) जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे उस स्त्री को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की या उस स्त्री के जीवन, अंग या स्वास्थ्य को (जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक) गंभीर क्षति या खतरा कारित करने की संभावना है, या

(ख) किसी स्त्री को इस दृष्टि से तंग करना कि उसको या उसके किसी नातेदार को किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की कोई मांग पूरी करने के लिए प्रपीडित किया जाए या किसी स्त्री को इस कारण तंग करना कि उसका कोई नातेदार ऐसी मांग पूरी करने में असफल रहा है।

18– प्रकरण में धारा 498 ए भादवि के अंतर्गत दिए गए स्पष्टीकरण क व ख को अभियोजन द्वारा प्रमाणित किया जाना है। उक्त सम्बंध में फरियादी भारती (अ0सा0–1) के साक्ष्य के अनुसार उसका विवाह जितेन्द्र के साथ दिनांक 03.12.2017 को सम्पन्न हुआ था। विवाह में उसके परिवारवालों ने 5 लाख रूपए नगद व घर गृहस्थी का सामान व सोने–चांदी का सामान दिया था। फरियादी भारती के द्वारा दिए गए कथन का समर्थन साक्षी कमलेश पाल (अ0सा0–2) के द्वारा किया गया है। फरियादी भारती (अ0सा0–1) की साक्ष्य के अनुसार विवाह के कुछ दिनों के पश्चात अभियुक्तगण कम दहेज लाने के कारण उसे ताने देते थे और 5 लाख रूपए की मांग कर उसे मानसिक व शारीरिक रूप से प्रतांडित करते थे। प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि फरियादी के द्वारा प्रतिपरीक्षण में यह

स्वीकार किया गया है कि उसकी शादी दोनों पक्षों की रजामंदी व देखपरख कर की गई थी तथा जब वह दोनो पक्ष पूर्ण रूप से संतुष्ठ हो गए उसके उपरांत शादी सम्पन्न हुई। फरियादी के द्वारा प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार किया गया है कि उसकी शादी शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई थी और किसी प्रकार का विवाद नहीं हुआ था। इससे यह परिलक्षित होता है कि विवाह के पूर्व व विवाह के समय अभियुक्तगण ने किसी प्रकार की दहेज की मांग वधु पक्ष से नहीं की थी, किन्तु इसी सम्बंध में अभियोजन साक्षी कमलेश पाल (अ0सा0—2) ने प्रतिपरीक्षण में यह अस्वीकार किया हैं कि साक्षी के पति ने भारती की शादी के पूर्व अभियुक्तगण के पक्ष को देख परख कर सम्बंध कराया था।

19— इसके अतिरिक्त बचाव पक्ष के द्वारा साक्षी कमलेश पाल (अ0सा0—2) से पूछे जाने पर कि भारती के विवाह के पूर्व अभियुक्तगण के द्वारा किसी प्रकार की मांग की थी या नहीं तो साक्षी के द्वारा व्यक्त किया गया कि सामान के सम्बंध में कहा कि सामान नहीं चाहिए, यह चाहिए। इसके अतिरिक्त उक्त साक्षी के द्वारा प्रतिपरीक्षण में यह अस्वीकार किया है कि अभियुक्त के द्वारा सम्पूर्ण विवाह कार्यक्रम के दौरान कभी कोई विवाद किसी विषय के सम्बंध में नहीं किया। इस प्रकार फरियादी भारती (अ0सा0—1) व कमलेश पाल (अ0सा0—2) के द्वारा दिए गए कथनों में विरोधाभाष स्पष्ट रूप से दर्शित होता है।

20— इसके अतिरिक्त अभिलेख में उपलब्ध सामग्री के अवलोकन से यह दर्शित नहीं है कि फरियादी के द्वारा अभियुक्तगण को दहेज में दिए गए सामान के बिल व रसीद पुलिस को जप्त कराए थे। इस सम्बंध में अभियोजन साक्षी कमलेश पाल (अ0सा0—2) के द्वारा प्रतिपरीक्षण में यह व्यक्त किया है कि उसे यह जानकारी नहीं है कि जो सामान विवाह में उनके द्वारा देना बताया है, उससे सम्बंधित बिल पुलिस को दिए थे या नहीं। उक्त साक्षी के द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि उसने उक्त सामान के बिल कभी नहीं देखे। इस प्रकार विवाह में दिए गए सामान की सूची व बिल अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जाना दर्शित है।

21— अभिलेख पर ऐसे कोई साक्ष्य दर्शित नहीं है कि जिससे यह कहा जा सके कि विवाह के पूर्व व विवाह के समय अभियुक्तगण के द्वारा दहेज की मांग की गयी हो। यदि अभियुक्तगण दहेज के लालची व्यक्ति थे और उनका उद्देश्य विवाह के

प्रतिफल स्वरूप दहेज वधु पक्ष से प्राप्त करने का था तब निश्चित तौर पर अभियुक्तगण द्वारा विवाह के पूर्व से ही अथवा विवाह के समय दहेज की मांग की गयी होती किंतु अभियुक्तगण ने ऐसी कोई मांग नहीं की। जब विवाह के पूर्व व विवाह के समय दहेज की मांग नहीं किया जाना दर्शित है तो विवाह के पश्चात् अभियुक्तगण के द्वारा दहेज की मांग किये जाने कैसे स्वभाविक है।

22— फरियादी भारती (अ0सा0—01) के द्वारा साक्ष्य में अभियुक्तगण के विरूद्ध 5 लाख रूपए की मांग को लेकर उसके साथ गाली गलौच व मारपीट करने के आक्षेप लगाए गए हैं। अभियुक्तगण के द्वारा उक्त प्रतांडना उसके विवाह के कुछ दिन के पश्चात की होना बताया गया है। इसी सम्बंध में फरियादी के द्वारा प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने 5 लाख रूपए की मांग व उसके उपरांत मारपीट करने की कोई पुलिस में शिकायत नहीं की। स्वतः व्यक्त करती है कि उसने सामाजिक मर्यादा के कारण अपने घरवालों को बताया था। फरियादी भारती (अ0सा0—01) के द्वारा साक्ष्य में ऐसे भी कथन नहीं किए है कि प्रथम बार जब अभियुक्तगण ने फरियादी से दहेज की मांग की तो फरियादी भारती के द्वारा अविलम्ब प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई हो।

23— यह उल्लेखनीय है कि फरियादी के द्वारा दहेज की मांग की जा रही थी तब उसके द्वारा अविलम्ब प्रथम सूचना रिपोर्ट किस कारण से लेखबद्ध नहीं कराई गई का स्पष्टीकरण साक्ष्य में संतोषजनक नहीं दिया गया है। इस सम्बंध में फरियादी के द्वारा अभियुक्तगण के दहेज की मांग के संबंध में की गयी मारपीट के अविलंब प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रस्तुत न किये जाने का कोई समाधानप्रद कारण साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बंध में न्यायदृष्टान्त **''कल्लू खा एवं अन्य विरूद्ध म.प्र. राज्य एवं अन्य आई.एल. आर. 2013 एम.पी. 2038''** प्रस्तुत किया गया है, जिसमें मान्नीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि विवाह के ठीक पश्चात् फरियादी के साथ दहेज को लेकर प्रताड़ना और क्रूरता के संबंध में फरियादी द्वारा शिकायत न करने और इतने लंबे समय तक चुप रहने का कोई स्पष्टीकरण न होने से धारा—498ए भा0दं0सं0 के अंतर्गत अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता, केवल यह तथ्य कि परिवार बचाने के लिये रिपोर्ट नहीं की गई पर्याप्त नहीं है। अन्य न्यायदृष्टांत **साधना यादव विरूद्ध देवेन्द्र कुमार 2014(1) एम.पी.डब्ल्यू.एन. नोट 134** में यह अवधारित किया गया है कि यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट अयुक्तियुक्त विलंब से की गयी है वहां अन्य तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए ऐसा

विलंब अभियोजन के मामले के लिए घातक हो सकता है। वर्तमान प्रकरण में भी उक्त न्यायदृष्टांतों में अवधारित विधि सिद्धांत आकृष्ट होता है।

24— फरियादी भारती (अ0सा0—1) की साक्ष्य के अनुसार अभियुक्तगण के द्वारा उससे दहेज की मांग कर उसके साथ मारपीट करते थे। इसी तारतम्य में फरियादी की सास ने उसके दोनों हाथ पकड लिए और पति व ससुर ने उसके साथ मारपीट की और उसका मोबाईल भी छीन लिया। इस सम्बंध में फरियादी भारती के द्वारा प्रतिपरीक्षण में यह व्यक्त किया गया है कि उक्त मारपीट में उसे चोटें आई थीं और वह घर चली गई थी फिर उसने डॉक्टर के दिखाया भी था। फरियादी ने उक्त चोटों के सम्बंध में आरोग्य धाम और बडे हॉस्पीटल अर्थात जे.ए.एच. में भी दिखाया था, वहां पर फरियादी के ईलाज से सम्बंधित पर्चे इत्यादि बने थे, किन्तु फरियादी के द्वारा प्रतिपरीक्षण में यह व्यक्त किया है कि उसने उक्त ईलाज के पर्चे पुलिस को नहीं दिए थे। इस प्रकार फरियादी भारती के साथ हुई मारपीट के सम्बंध में मेडीकल दस्तावेज अभियोजन के द्वारा साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किए गए हैं इसलिए उपरोक्त घटना की पुष्टि के सम्बंध में प्रमाण का अभाव है इसलिए भी फरियादी भारती के द्वारा दिए गए कथन विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते हैं।

25— अभियोजन साक्षीगण भारती (अ0सा0—1), कमलेश पाल (अ0सा0—2) के द्वारा साक्ष्य में इस संबंध में कथन नहीं किये गये है कि फरियादी से अभियुक्तगण ने दहेज की मांग कौन सी तारीख, महीना, सन् में की इस सम्बंध में **न्यायदृष्टांत ''दशरथ पी बुन्देला एवं अन्य विरूद्ध म0प्र0 राज्य आई0एल0आर0 2011 एम0पी—2923''** अवलोकनीय है जिसमें माननीय वरिष्ठ न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि जहां इस बारे में कोई विनिर्दिष्ट अभिकथन नहीं है कि मांग कब की गई और किसके द्वारा की गई और मांग के संबंध में मारपीट कब और किसके द्वारा की गई, लंबी अवधि में कोई विनिर्दिष्ट वर्ष, माह व दिनांक का उल्लेख नहीं किया गया है वहां धारा 498 ए भा.दं.सं. के अंतर्गत अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता। इसी आशय की अवधारणा **न्यायदृष्टांत ''बी0एम0 शर्मा विरूद्ध राज्य 1996 सी0आर0एल0जे0 1116''** में भी की गई है। अन्य **न्यायदृष्टांत जालिम एवं अन्य विरूद्ध म0प्र0 राज्य 2014 सी0आर0एल0जे0 607** प्रस्तुत किया है, जिसमें यह अवधारित किया गया है कि जहां कि फरियादी पक्ष द्वारा क्रूरता के संबंध में विनिर्दिष्ट आक्षेपों का अभाव है और घटना के समय, स्थान और मारपीट तथा प्रतांडना के प्रकार के संबंध में विनिर्दिष्ट साक्ष्य का अभाव है वहां धारा 498ए भा0दं0सं0 के अंतर्गत

दोषसिद्धी उचित नहीं है। **न्यायदृष्टांत रीता शर्मा एवं अन्य विरूद्ध म0प्र0 राज्य एवं अन्य 2014 (1) एम0पी0डब्ल्यू0एन0 86** में इसी आशय की अवधारणा की गई है।

26– इस सम्बंध में **न्यायदृष्टांत "सरला प्रभाकर विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य 1990 सी0आर0एल0जे0 407"** उल्लेखनीय है जिसमें यह अवधारित किया गया है कि पति और परिवारवालों को प्रत्येक आचरण क्रूरता की परिधि में नहीं आता है यह प्रमाणित होना चाहिए कि पत्नी के प्रति क्रूरता या प्रतांडना इस प्रकार की थी जो उसे गंभीर शारीरिक क्षति या खतरा करे या आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करे अथवा क्रूरता दहेज की मांग की पूर्ति के लिए की गई थी तभी धारा 498 ए भा0दं0सं0 के प्रावधान आकृष्ट होते हैं। वर्तमान प्रकरण में भी यह परिस्थिति परिलक्षित होती है। यद्यपि यह प्रमाणित है कि फरियादी का विवाह दिनांक 03.12.2017 को अभियुक्त जितेन्द्र के साथ हुआ था। इसके अतिरिक्त यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्तगण ने दहेज के लिए फरियादी के साथ मारपीट कर उसे प्रताडित किया था, बल्कि साक्ष्य में उभयपक्ष के मध्य आपसी विवाद विद्य मान होना परिलक्षित होता है। इसके अतिरिक्त पूर्वोक्त विवेचना के आधार पर जहां कि दहेज की मांग और प्रतांडना के सम्बंध में साक्ष्य संदेह से परे प्रमाणित नहीं है वहां उक्त आपसी विवाद के आधार पर अभियुक्तगण की दोषसिद्धी नहीं की जा सकती है। ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित नहीं है कि घटना के समय अभियुक्तगण ने फरियादी भारती (अ0सा0–1) से विवाह के उपरांत से उसके पति/पति के नातेदार होते हुए उक्त फरियादी से दहेज में 5,00,000/– रूपए की मांग कर उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रतांडित किया तथा अभियुक्तगण ने फरियादी के माता पिता से अप्रत्यक्ष रूप से विवाह के सम्बंध में दहेज के रूप में 5 लाख रूपए की मांग की।

विचारणीय प्रश्न कमांक 02

27– फरियादी भारती (अ0सा0–1) के द्वारा इस सम्बंध में साक्ष्य में कथन नहीं किए गए हैं कि घटना के समय अभियुक्तगण ने उसे अश्लील गालियां दी। यद्यपि अभियोजन साक्षी कमलेश पाल (अ0सा0–2) के द्वारा साक्ष्य में व्यक्त किया गया है कि फरियादी भारती के ससुर, भारती के साथ गाली गलौच करते थे, किन्तु साक्ष्य में अभियुक्तगण ने विनिर्दिष्ट रूप से अश्लील गालियां फरियादी को कौन कौन सी दी गई यह व्यक्त नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त न्यायदृष्टांत **विष्णुप्रसाद विरूद्ध म0प्र0**

राज्य 1971 जे0एल0जे0 148 में माननीय न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि मॉ बहन की गालियां अश्लीलता की परिधि में नहीं आती है, ऐसे शब्द अभद्र हो सकते हैं, किन्तु उन्हें अश्लील नहीं माना जा सकता है। इस सम्बंध में न्यायदृष्टांत **शरद दुबे व अन्य विरूद्ध महेश गुप्ता व अन्य 2005 (4) एम0पी0एल0जे0 330** में माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत भी अवलोकनी है। इसलिए साक्ष्य के अभाव में यह **प्रमाणित नहीं** है कि घटना के समय अभियुक्तगण के द्वारा फरियादी को अश्लील गालियां देकर क्षोभ कारित किया।

विचारणीय प्रश्न कमांक 03

28– फरियादी भारती (अ0सा0–1) के द्वारा साक्ष्य में इस सम्बंध में साक्ष्य में किसी प्रकार के कोई कथन नहीं किए हैं, जबकि अभियोजन साक्षी कमलेश पाल (अ0सा0–2) को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने यह स्वीकार किया है कि अभियुक्तगण आए दिन भारती को गंदी गंदी गालियां देते थे, मारपीट करते थे और दहेज ना देने पर फरियादी भारती को जान से मारने की धमकी देते थे, किन्तु उक्त साक्षी के द्वारा साक्ष्य में ऐसे कथन नहीं किए हैं जिससे यह दर्शित हो कि फरियादी के मस्तिष्क में ऐसा कोई प्रभाव पडा जिससे उसे किसी प्रकार का भय या डर घटना के समय व पश्चात बना रहा। इस सम्बंध में न्यायदृष्टांत **लक्ष्मण बनाम म0प्र0 राज्य 1989 जे0एल0जे0 (म0प्र0) 653** में माननीय न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि भा0दं0सं0 की धारा 506 भाग दो का अपराध घटित होने के लिए धमकी वास्तविक होनी चाहिए तथा संत्रास कारित करने का आशय होना चाहिए। न्यायदृष्टांत **शरद दुबे व अन्य विरूद्ध महेश गुप्ता व अन्य 2005 (4) एम0पी0एल0जे0 330** में माननीय न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि केवल जान से मारने की धमकियां भा0दं0सं0 की धारा 506 भाग दो के अधीन अपराध का गठन नहीं करती है। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के अभाव में यह प्रमाणित नहीं है कि घटना के समय अभियुक्तगण ने फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित किया।

29– अतः अभियोजन यह तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 03.03.2017 के दरमियानी दिन से दिनांक 16. 05.2019 तक स्थान फरियादिया की ससुराल, 35 हर्ष नगर, गोविंदपुरी, सिटी सेंटर लश्कर

ग्वालियर जिला ग्वालियर जो फरियादिया की ससुराल है, में प्रार्थिया के पति जितेन्द्र व उसके नातेदार होते हुए उससे पांच लाख रूपए की मांग को लेकर उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर क्रूरता कारित की, उक्त दिनांक समय एवं स्थान पर उन्होंने फरियादिया श्रीमती भारती पाल को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालो को क्षोभ कारित किया, उक्त दिनांक समय व स्थान पर उन्होंने फरियादिया श्रीमती भारती पाल को संत्रास कारित करने के आशय से उसे जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया एवं उक्त दिनांक समय व स्थान पर प्रार्थिया के माता पिता से अप्रत्यक्ष रूप से विवाह के संबंध में दहेज के रूप में पांच लाख रूपए की मांग की।

30– परिणामतः अभियुक्तगण **जितेन्द्र उर्फ मोनू बघेल, श्रीराम सिंह बघेल एवं विमलेश बघेल** को **धारा 498ए, 294, 506 भाग–दो भा0दं0सं0 एवं 4 द0प्र0अधि0** में **दोषमुक्त** किया जाता है।

31– अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

32– प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति कुछ नहीं।

33– अभियुक्तगण द्वारा प्रकरण के दौरान निरोध में बिताई गई अवधि का प्रमाण पत्र द.प्र.स. की धारा 428 के तहत बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित व उद्‌घोषित किया गया

सही/–
(श्रीमती पूर्णिमा कोठे राजन)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जिला ग्वालियर म0प्र0

मेरे आलेख पर टंकित।

सही/–
(श्रीमती पूर्णिमा कोठे राजन)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जिला ग्वालियर म0प्र0

PURNIMA KOTHE
Digitally signed by PURNIMA KOTHE
Date: 2025.08.21 18:48:03 +0530